

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास - श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 43/2019

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
छीतरराम पुत्र बादरराम जाति राईका निवासी मेवडा तहसील डेगाना जिला नागौर।		1सरकार जरिये तहसीलदार, डेगाना। 2पटवारी मेवडा।

उपस्थिति :-

1. श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय


दिनांक:29.11.2019

{1}-मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 377/2018 सरकार बनाम छीतरराम में निर्णय दिनांक 13.06.18 के तहत मौजा मेवडा के खसरा नं. 895 रकबा 0.03 हैक्ट. गै.मु. गोचर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 24.04.19 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 10.06.19 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्त द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार डेगाना के निर्णय दिनांक 13.06.18 की फोटोप्रति, ग्राम मेवडा के पट्टा सं. 7624 की फोटोप्रति, माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर के मुकदमा सं. 39/17 के फर्द अहकाम दिनांक 14.7.17 से 28.3.18 तक की फोटोप्रति, माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, मौजा मेवडा के नक्शे की फोटोप्रति, मौजा मेवडा के नक्शे की फोटोप्रति तथा ग्राम मेवडा जमाबंदी संवत 2067 से 2076 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिन्दु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील एकपक्षीय रूप से बिना अपीलान्त को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये पारित किया है क्योंकि अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया व दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत समय चाहा गया। किन्तु तत्पश्चात दिनांक 13.6.18 को अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वार शिविर मे अपीलान्त की गैर मौजूदगी मे बिना सुनवाई किये आदेश जैर अपील पारित कर दिया। इस कारण आदेश की जानकारी अपीलान्त को वक्त आदेश नहीं हो सकी। अभी हाल ही मे पटवारी मौके पर अपीलान्त को बेदखल करने आया तब अपीलान्त को आदेश की जानकारी हुई तब अपीलान्त ने दूसरे दिन ही तहसील मे नकल हेतु आवेदन किया जो नकल प्राप्त होने पर अपीलान्त को प्रथम बार निर्णय जैर अपील की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलान्त को निर्णय जैर अपील की जानकारी नहीं थी। प्रथम जानकारी से अपील अंदर मियाद पेश की है। न्याय हित मे अपील पेश करने मे हुई देरी को माफ किया जाना उचित व न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलान्त की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलान्त ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

{2}(1)-अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.06.18 पूर्णतया अवैध विधि विरुद्ध एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।




अपर कलक्टर, नागौर

{2}(II)—अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं पत्रावली का अवलोकन किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(III)—अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांत ने विस्तृत रूप से जवाब प्रस्तुत किया था। किन्तु उस जवाब को नजरअंदाज करते हुए तथा अपीलांत को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बगैर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये आदेश जैर अपील पारित किया। जो निरस्तनीय है।

{2}(IV)—अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी मेवडा द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की रिपोर्ट के संदर्भ में हल्का पटवारी के बयान तक नहीं लिये। केवल मात्र टीपी रिपोर्ट को ही आधार मानकर बिना किसी प्रकार की जांच किये आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(V)—विवादित भूमि गै.मु. आबादी में स्थित है जो कि नक्शे में आबादी के रूप में तरमीम की हुई है एवं ग्राम पंचायत के अधीन आयी हुई है। इस प्रकार आबादी में स्थित भूमि बाबत कार्यवाही करने का तहसीलदार को कानूनन क्षेत्राधिकार नहीं है। तहसीलदार केवल मात्र ग्राम पंचायत के आवेदन पर ही कार्यवाही कर सकते हैं अन्यथा नहीं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध व विधि विरुद्ध ढंग से जो आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1980 पेज 34, आरआरटी 2006(1) पेज 272 से 273 तथा आरआरटी 2003(2) पेज 1303 से 1306 तक नजीरे पेश की।

{2}(VI)—विवादित भूमि गै.मु. आबादी में स्थित है जहां अपीलांत का पक्का मकान बना हुआ है जो वर्षों से बना हुआ है, किसी प्रकार का नया अतिक्रमण अपीलांत द्वारा नहीं किया गया है। उक्त भूमि बाबत संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष कार्यवाही पूर्व से ही विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में भी अधीनस्थ न्यायालय को उक्त विवादित भूमि बाबत कार्यवाही करने का विधिक अधिकार नहीं होने के बावजूद भी जो आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।


{2}(VII)—विवादित भूमि अपीलांत की पट्टा शुदा भूमि है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत मेवडा द्वारा अपीलांत की पत्नी चम्पादेवी के नाम से दिनांक 30.01.13 को जारी किया हुआ है। इस प्रकार अपीलांत का विवादित भूमि पर अतिक्रमण नहीं होकर मालिकाना हक है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को धारा 91 एलआरएक्ट के तहत कार्यवाही करने का विधिक अधिकार ही नहीं था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच किये आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो निरस्तनीय है।


{3}—राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांत द्वारा मौजा मेवडा में स्थित गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांत को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्त को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}— उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके मेवडा के खसरा नंबर 895 रकबा 0.03 हैक्ट. गै.मु. गोचर भूमि पर अपीलांत का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्त को विधिवत नोटिस दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत का उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. गोचर है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}— उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्त की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(मनोज कुमार)

अपर कलक्टर
नागौर